

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

7.7

क्र. - 72/2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

श्रीमा एवं भाज ही बहस सुनी जाने का
निवेदन किया। वकील भाजार्थी के विरोध करने
पर वकील शर्मा को भाज ही वकील शर्मा को
सुनायी जाने हेतु हिदायत दी गई। वकील शर्मा ने
बहस हेतु न्यायालय में अंतिम भवसर दिये जाने
का निवेदन किया गया। वकील शर्मा के निवेदन पर
वकील शर्मा को भाजार्थी पेशी पर भावश्यक रूप से
बहस सुनायी जाने हेतु पाबन्द किया गया। वास्ते
अंतिम बहस सुनी जाने हेतु पत्रावली किंसांक 02-01-24
को पेश हो।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

02.01.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय
पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में अंतिम बहस वकुलाय उभय
पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक
08.01.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

08.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश
हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0
टी0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने



न्यायालय सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सदर जज जगदीश चंद / बनाम सुनील चंद

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहरस्ताक्षर जज

72

सं.क्र. 72/2023

पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)